કર્મચારી રાજ્ય વીમા નિગમ
(શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલય, ભારત સરકાર)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)
Email : ms-ankleshwar.gj@esic.nic.in

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C

सत्यमेव जयते

ક.રા.બી.નિ હોસ્પિટલ, અંકલેશ્વર,
પ્લોટ નં.H3012, 500 કવાટર પાસે,
અંકલેશ્વર, જિ. ભરૂચ
क.रा.बी. निगम अस्पताल, प्लाट स. H3012, 500 क्वाटर के पास, अकलेश्वर, जो.भरूच
ESIC Hospital, Plot No. H3012, Nr. 500 Quarters, Ankleshwar, Dist. Bharuch
Website : www.esic.gov.in

सं.: 375/अ/49/2019/क.रा.बी.नि./अंक/फ़ाइल-2 दिनांक: 22 अप्रैल 2026

परिपत्र

विषय:- सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा इलैक्ट्रानिक रूप में) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26।

संदर्भ:- मुख्यालय के परिपत्र संख्या ए-49032/1/2022-रा.भा.(ई-5396) दिनांकित 17 अप्रैल, 2026।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/2013/3/87-रा.भा. (क-2),दिनांक 16.02.88 तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या 11034/09/2025-राजभाषा (नीति), दिनांक 25.08.2025 के अनुसार **सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा ईलेक्ट्रोनिक रूप में) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26** क.रा.बी.निगम में भी लागू है।

योजना की शर्तें निम्नलिखित हैं:-

1) यह योजना **वित्त वर्ष** पर आधारित है।

2) **सभी श्रेणियों के अधिकारी/कर्मचारी इस योजना में भाग ले सकते हैं, जो अपना सरकारी काम मूल रूप से हिंदी में करते हैं।** इसमें मूल टिप्पण व प्रारूप के अलावा हिंदी में किए गए अन्य कार्य जिनका सत्यापन किया जा सके, जैसे- रजिस्टर में इंदराज, सूची तैयार करना, लेखा का काम आदि भी शामिल किए जाएंगे।

3) योजना में केवल वही अधिकारी/कर्मचारी पुरस्कार के पात्र होंगे, जो **'ख' क्षेत्र में वित्त वर्ष 2025-26 में कम से कम 20 हजार शब्द हिंदी में लिखे है।**

4) आशुलिपिक, जो सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग को बढ़ावा देने संबंधी किसी अन्य योजना के अंतर्गत आते हैं, इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

5) राजभाषा अधिकारी और अनुवाद अधिकारी, जो समान्यतः अपना काम हिंदी में करते हैं, वे इस योजना में भाग लेने के लिए पात्र नहीं होंगे।

6) योजना के तहत कम्प्युटर/ई-ऑफिस में किए गए टिप्पण/आलेखन को भी शामिल किया जाएगा।

7) इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित **10 पुरस्कार** प्रदान किए जाएँगे :-

क्र.सं.	पुरस्कार	पुरस्कारों की संख्या	पुरस्कार राशि
1	प्रथम	02	रु. 5,000/- प्रत्येक
2	द्वितीय	03	रु. 3,000/- प्रत्येक
3	तृतीय	05	रु. 2,000/- प्रत्येक

8) मूल्यांकन करने के लिए **कुल 100 अंक** रखे जाएंगे। इनमें से 70 अंक हिंदी में किए गए काम की मात्रा के लिए रखे जाएंगे और 30 अंक विचारों की स्पष्टता, शब्द चयन एवं लिखने की शैली के लिए होंगे। एक लाख शब्द लिखने वाले को 70 में से 50 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक पांच हजार अतिरिक्त शब्दों के लिए एक अंक दिया जाएगा, लेकिन कुल अंक 70 से अधिक नहीं होंगे।

9) जिन प्रतियोगियों की मातृभाषा तमिल, तेलुगू, कन्नड, मलयालम, बंगाली, उड़िया या असमिया हो, उन्हें 20 प्रतिशत तक अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा। ऐसे कर्मचारी को दिए जानेवाले वास्तविक अंकों के लाभ का निर्धारण मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। ऐसा करते समय समिति उन अधिकारियों/कर्मचारियों के काम के स्तर को भी ध्यान में रखेगी जो अन्यथा उससे क्रम में ऊपर है।

10) **पुरस्कार जीतने के बारे में संबंधित अधिकारी/कर्मचारी की सेवा पुस्तिका/सेवा कार्ड में भी इसका उल्लेख किया जाएगा।**

अतः उक्त योजना में भाग लेने के इच्छुक एवं पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा **सरकारी कामकाज (भौतिक अथवा ईलेक्ट्रोनिक रूप में) मूल रूप से हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहन योजना वर्ष 2025-26** के अंतर्गत हिंदी में किए गए कार्य का ब्योरा निम्नलिखित प्रारूप में भरकर **दिनांक 05/05/2026** तक राजभाषा शाखा को प्रस्तुत करे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन/प्रविष्टि पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

प्रपत्र

श्री/सुश्री______________________,पदनाम______________________,मातृभाषा______________
द्वारा माह ______________________के दौरान हिंदी में किए गए कार्य का विवरण

क्र.सं.	तिथि	हिंदी में किए गए कार्य की फाइल एवं रजिस्टर संख्या	हिंदी में लिखे गए टिप्पण/आलेखन के शब्दों की संख्या	हिंदी में किए गए अन्य कार्य		नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर (सप्ताह में एक बार)
				विवरण	शब्दों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7

उक्त पत्र चिकित्सा अधीक्षक महोदय के अनुमोदन के पश्चात जारी किया गया हैं।

संलग्न: मुख्यालय पत्र।

27/5/24

शाखा अधिकारी (राजभाषा) / Branch Officer (Rajbhasha)
क.रा.बी.नि अस्पताल ,अंकलेश्वर,गुजरात
ESIC Hospital Ankleshwar,Gujarat

(विनोद कुमार)
सहायक निदेशक - राजभाषा प्रभारी

सेवा में,

1. चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि.अस्पताल, अंकलेश्वर
2. सहायक चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.नि.अस्पताल, अंकलेश्वर
3. सहायक नर्सिंग अधीक्षक, क.रा.बी.नि.अस्पताल, अंकलेश्वर
4. समस्त सहायक निदेशक एवं शाखा अधिकारी वित्त एवं लेखा/सामान्य/नकद/प्रशासन/अति विशिष्ट सेवा/औषिधी भंडार/संपत्ति प्रबंधन, क.रा.बी.नि.अस्पताल, अंकलेश्वर
5. नोटिस बोर्ड
6. कार्यालय प्रति